एक नजर में

ई रिक्शा चालकों ने ऐप को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

भिंड. लहार में ई रिक्शा चालकों ने एसडीएम विजय सिंह यादव को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में चालकों ने ऐप के माध्यम से चलते हुए ई रिक्शा को अचानक बंद किए जाने की बढ़ती घटनाओं पर नाराजगी जताई है. चालकों का आरोप है कि कुछ लोग जानबूझकर ऐप का गलत इस्तेमाल कर उन्हें परेशान कर रहे हैं, जिन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए .ज्ञापन में ई रिक्शा चालकों ने बताया कि लहार क्षेत्र में सवारियां ले जाते समय अचानक उनके वाहन ऐप के जरिए बंद कर दिए जाते हैं. इसके चलते उन्हें कई किलोमीटर तक सवारियों को बीच रास्ते में ही छोड़कर गाड़ी को पैदल खींचकर ले जाना पड़ता है. कई बार वाहन सुनसान रास्तों पर बंद हो जाते हैं, जिससे चालकों और सवारियों को लूट, सड़क दुर्घटना या किसी अन्य अनहोनी का डर सताता रहता है.

खदान में डूबने से दो मासूम दोस्तों की दर्दनाक मौत

सीहोर. जिले के आष्टा क्षेत्र में ग्राम बापचा दोनिया के दो मासूमों की बारिश के पानी से भरी बंद पड़ी मुरम खदान में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई. पुलिस के अनुसार समर (10) पिता संतोष पाल मालवीय और समर (10) पिता जितेंद्र मालवीय शनिवार दोपहर घर से खेलने के लिए निकले थे. लगातार बारिश के बाद गांव के पास स्थित पुरानी मुरम खदान पानी से पूरी तरह भर गई थी. गर्मी और उमस से राहत पाने के लिए दोनों बच्चे खदान में नहाने पहुंच गए. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शुरुआत में दोनों बच्चे किनारे पर उथले पानी में खेल रहे थे, लेकिन धीरे-धीरे वे गहरे हिस्से में चले गए. खदान में खुदाई के कारण कई जगह अचानक गहराई थी, जिसका बच्चों को अंदाजा नहीं लग पाया. देखते ही देखते दोनों संतुलन खो बैठे और गहरे पानी में डूबने लगे. बचने की कोशिश में दोनों ने एक-दूसरे को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन पानी की गहराई और कीचड़ के कारण बाहर नहीं निकल सके. घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काफी प्रयास के बाद दोनों बच्चों को बाहर निकाला. उन्हें तत्काल आष्टा सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. एसडीओपी दामोदर गुप्ता ने बताया कि दोनों मासूमों के नाम एक जैसे थे तथा दोनों पक्के दोस्त भी थे मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर पड़ताल शुरू कर दी है.

जैविक और प्राकृतिक खेती अपनाएं

- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों से की अपील
- प्राकृतिक खेती में बड़ा स्कोप, बड़े मुनाफे का काम

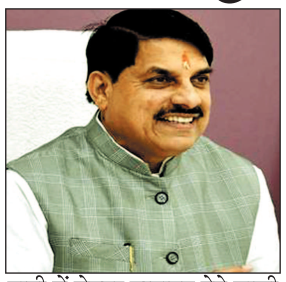

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 4 जुलाई. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्राकृतिक खेती में बड़ा स्कोप है. यह बड़े मुनाफे का काम है. किसानों को चाहिए कि वे परम्परागत खेती के स्थान पर जैविक एवं प्राकृतिक खेती अपनायें.

मुख्यमंत्री ने इस साल अल्प वर्षा की आशंका को देखते हुए प्रदेश के किसानों से अपील की है कि वे अपने कृषि कार्यों की वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक योजना बनाएं तथा कम अवधि और कम पानी में बेहतर उत्पादन देने वाली फसलों को विशेष प्राथमिकता दें. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा एवं कृषि उत्पादन को सुरक्षित बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां कर रही है. कृषि, उद्यानिकी एवं संबंधित विभागों के माध्यम से जिलेवार सतत समीक्षा और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में जल संरक्षण और जल के विवेकपूर्ण उपयोग का विशेष महत्व है. किसान भाई-बहन खेतों में उपलब्ध नमी का संरक्षण करें, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दें और सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों का अधिकाधिक उपयोग करें. कृषि वैज्ञानिकों एवं कृषि विभाग द्वारा जारी तकनीकी सलाह का पालन करते हुए परिस्थितियों के अनुरूप फसल चयन करें.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किसानों से विशेष रूप से श्रीअन्न जैसे कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा सहित अन्य कम पानी में सफलतापूर्वक पैदा होने वाली फसलों का रकबा बढ़ाने का आग्रह किया.

किसानों को आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराएंगे

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किसानों को आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी है. किसानों को आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन, कृषि आदान उपलब्ध कराने तथा परिस्थितियों के अनुरूप हर संभव सहयोग सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं. सरकार का प्रयास है कि किसी भी किसान को कठिनाई का सामना न करना पड़े. कृषि उत्पादन प्रभावित न हो और किसानों के हित भी हर तरह से सुरक्षित रहें. मुख्यमंत्री ने कहा है कि कृषि और अन्नदाता प्रदेश के साथ देश के अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक जरूरतों के अनुसार उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारा कर्तव्य है. इसी आशय से प्रदेश में वर्ष 2026 कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है.

बस की टक्कर से बच्चे का सिर धड़ से अलग

- पिता की भी मौत, मां गंभीर रूप से घायल

नवभारत न्यूज

बेगमगंज 4 जुलाई. रायसेन जिले के बेगमगंज में बस की टक्कर से बाइक सवार एक बच्चे का सिर धड़ से अलग हो गया और उसके शरीर के चिथड़े उड़ गए. हादसे में पिता की भी मौत हो गई. मां गंभीर रूप से घायल हो गई. जबकि एक बालक बाल-बाल बच गया. यह परिवार बाइक से गैरतगंज के ग्राम आलमपुर से विदिशा जिला अंतर्गत ग्यारसपुर के ग्राम हिम्मपुर जा रहा था. शनिवार सुबह करीब 10 बजे ग्राम बर्रीकला के पास सागर से भोपाल जा रही शक्ति ट्रांसपोर्ट की बस क्रमांक एमपी 39 एमबी 6050 के चालक ने बाइक में टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक चालक पूरन सिंह सहरिया (आदिवासी) की मौत हो गई, उसके पांच वर्षीय बेटा आदित्य का सिर धड़ से अलग हो गया और उसकी पत्नी संध्या बाई (25) गंभीर रूप से घायल हो गई. मृतक पूरन का एक साल का बेटा लक्ष्य बाल-बाल बच गया. संध्या बाई को रायसेन रेफर किया गया है. थाना प्रभारी राजीव उइके ने बताया कि विदिशा जिले के ग्यारसपुर थानांतर्गत ग्राम हिम्मतपुर निवासी पूरन सिंह सहरिया आदिवासी गैरतगंज तहसील के ग्राम आलमपुर अपनी ससुराल पत्नी एवं बच्चों को लेने आया था. शनिवार सुबह वह अपने परिवार को बाइक से लेकर वापस अपने गांव हिम्मतपुर जा रहा था तभी ग्राम बर्रीकला के मोड़ पर यह हादसा हो गया.

जीतू पटवारी को 5 करोड़ का मानहानि नोटिस भेजा

भोपाल, 4 जून. वीर भारत न्यास के सचिव श्रीराम तिवारी ने मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को 5 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा है. नोटिस में तीन दिन के भीतर आरोपों पर स्पष्टीकरण देने या सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की गई है.

वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश मेहता के माध्यम से भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि पटवारी ने बिना ठोस तथ्यों के ऐसे आरोप लगाए, जिससे न्यास और उसके पदाधिकारियों की सामाजिक एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है. निर्धारित समय में जवाब नहीं मिलने पर सक्षम न्यायालय में मानहानि का दावा और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी. दरअसल, जीतू पटवारी ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार ने करीब 500 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी जमीन मात्र एक रुपये में श्रीराम तिवारी से जुड़े ट्रस्ट को आवंटित कर दी. इस आरोप के बाद मामला राजनीतिक रूप से चर्चा में आ गया था. वीर भारत न्यास ने आरोपों को निराधार बताते हुए स्पष्ट किया कि न्यास 2013 में स्थापित मध्यप्रदेश शासन का पूर्ण सार्वजनिक न्यास है. उज्जैन स्थित कोठी महल परिसर राजस्व विभाग द्वारा विधिवत प्रक्रिया के तहत संस्कृति विभाग को उपलब्ध कराया गया था. न्यास भारतीय संस्कृति, इतिहास और सभ्यता के संरक्षण एवं शोध कार्यों के लिए कार्यरत है तथा संबंधित भूमि पर संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है.

रिटायर्ड सहा. राजस्व निरीक्षक के ठिकानों से करोड़ों की संपत्ति उजागर

नरसिंहपुर, 04 जुलाई. आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) द्वारा मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा में नगरीय प्रशासन विभाग के सेवानिवृत्त सहायक राजस्व निरीक्षक योगेंद्र कुमार ढिमोले के गाडरवारा और सिवनी जिले के लखनादोन ठिकानों पर छापेमारी में करोड़ों रुपये की बेनामी और आय से अधिक संपत्ति उजागर हुई है. ईओडब्ल्यू के पुलिस उपाधीक्षक मंजीतसिंह ने बताया कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत पर जांच की गई थी शुक्रवार सुबह दोनों ठिकानों पर छापा मार कर जांच की गई. उसके पास दो करोड 36 लाख रुपए की अनुपातहीन संपत्ति का खुलासा हुआ है, जिसके आधार पर प्रथम दृष्टा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.

35 साल पुरानी दुकानें ढहीं मौमिनपुरा में चला बुलडोजर

नव भारत न्यूज

रतलाम। मौमिनपुरा क्षेत्र में नगर निगम ने शनिवार को 35 वर्ष पुरानी जर्जर दुकानों पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाने और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की।

राजीव गांधी स्वावलंबन योजना के तहत बनी 36 दुकानों को जर्जर घोषित किए जाने के बाद निगम के राजस्व अमले ने कार्रवाई की। ध्वस्तीकरण के दौरान बड़ी संख्या में लोग मलबे से सरिया और अन्य कबाड़ बटोरने पहुंच गए, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। निगम का कहना है कि जर्जर भवनों को हटाकर क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई।

हाईवे पर तीन वाहन भिड़े, 6 घायल

- ट्रक के अचानक ब्रेक से बस भिड़ी, पीछे से कार टकराई

नवभारत न्यूज

खंडवा। इंदौर-एदलाबाद नेशनल हाईवे पर शनिवार तड़के एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। पंधाना थाना क्षेत्र के बोरगांव पुलिस चौकी अंतर्गत रुस्तमपुर के पास ट्रक, यात्री बस और कार की तिहरी टक्कर में छह यात्री घायल हो गए। राहत की बात यह रही कि सभी घायलों को मामूली चोटें आई हैं और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। हादसे के बाद कुछ देर तक हाईवे पर अफरा-तफरी और जाम की स्थिति बनी रही।

जानकारी के अनुसार, दुर्घटना शनिवार सुबह करीब 3 बजे हुई। अमरावती से इंदौर जा रही यात्री बस इंदौर-एदलाबाद नेशनल हाईवे पर आगे चल रहे ट्रक के पीछे चल रही थी। इसी दौरान रुस्तमपुर के पास ट्रक चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए। बस चालक को संभलने का मौका नहीं मिला और बस सीधे ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बस के पीछे आ रही कार भी बस से जा भिड़ी। इस तरह कुछ ही सेकंड में ट्रक, बस और कार की तिहरी भिड़ंत हो गई। हादसे के समय बस में करीब 25 यात्री सवार थे। टक्कर के बाद यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही बोरगांव पुलिस चौकी का अमला, डायल-112, नेशनल हाईवे एंबुलेंस और बचाव दल तत्काल मौके पर पहुंचा। पुलिस और राहत दल ने घायलों को बस से बाहर निकालकर एंबुलेंस के जरिए जिला अस्पताल भिजवाया। हादसे में घायल यात्रियों की पहचान बचकलाबाई पति नामदेवराव खोरे (78 वर्ष), अंबुबाई (70 वर्ष), संजय पाटिल (35 वर्ष), मुरलीधर सुने (24 वर्ष), संजय साहू (26 वर्ष) और अथर्व विकास पाटिल (24 वर्ष) के रूप में हुई है। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने सभी की हालत खतरे से बाहर बताई है। वहीं, बस के पीछे चल रही कार में सवार

दो शावकों के जन्म से टाइगर रिजर्व हुआ गुलजार

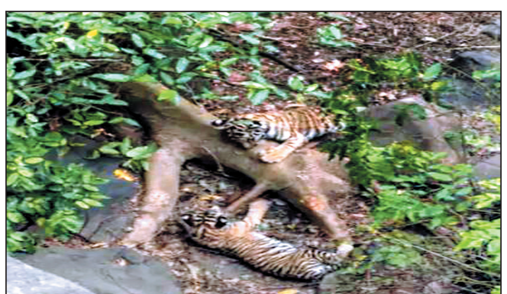

पन्ना, 4 जुलाई. पन्ना टाइगर रिजर्व से वन्यजीव प्रेमियों के लिए खुशखबरी सामने आई है. धुंधुआ सेहा क्षेत्र में बाघिन पी-652 ने दो शावकों को जन्म दिया है. पन्ना टाइगर रिजर्व के उप संचालक वीरेंद्र पटेल ने बताया कि दोनों शावकों की उम्र लगभग 10 दिन है और मां व शावक पूरी तरह स्वस्थ हैं. वन विभाग की विशेष टीम हाथियों और आधुनिक तकनीकों की मदद से 24 घंटे उनकी निगरानी कर रही है, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो. धुंधुआ सेहा क्षेत्र का वन्यजीव संरक्षण के इतिहास में विशेष महत्व है.

17 माह के शावक की मौत

पन्ना. पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों के बीच क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई ने एक बार फिर वन्यजीवन की कठोर सच्चाई सामने ला दी. मंगलवार को मड़ला वन परिक्षेत्र के कंचन नाला क्षेत्र में बाघ पी-661 ने बाघिन पी-151 के लगभग 17 माह की मादा शावक पर हमला कर उसे मार डाला. जानकारी के अनुसार, बाघ पी-661 मंगलवार सुबह से ही कंचन नाला क्षेत्र में सक्रिय था और बाघिन पी-151 तथा उसके शावकों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए था. खतरे को भांपते हुए बाघिन ने अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए कई बार बाघ का सामना किया और उसे कुछ समय के लिए पीछे हटने पर मजबूर भी कर दिया. घात लगाए बैठे बाघ पी-661 ने अचानक हमला कर दिया.

बारिश से जिला तरबतर, नदी नाले उफान पर

नवभारत न्यूज

खंडवा, 4 जुलाई. जिले में शुक्रवार रात से शनिवार सुबह तक हुई झमाझम बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया. पिछले 24 घंटों में करीब दो इंच वर्षा दर्ज की गई, जिससे इस मानसून सीजन में कुल वर्षा का आंकड़ा चार इंच से अधिक पहुंच गया है.

लगातार बारिश से शहर के नाले उफान पर हैं, जबकि इंदिरा सागर बांध के निकट किल्लौद क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. किल्लौद ब्लॉक के कई गांवों में नदी-नाले उफान पर आने से पुल और पुलियाएं डूब गईं. इससे ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क प्रभावित हुआ है. खिरकिया और हरसूद मार्ग पर भी आवागमन बाधित होने की सूचना है.

प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है.शहरी क्षेत्र में भी कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई. तुलसी स्टेट सहित कई कॉलोनियों में बारिश का पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा.मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून मध्यप्रदेश में पूरी तरह सक्रिय हो गया है. छत्तीसगढ़ की ओर से लगातार नमी वाले बादल आने के कारण अगले दो दिनों तक जिले में अच्छी बारिश की संभावना है. इसके बाद वर्षा की गतिविधियों में कुछ कमी आ सकती है. इधर, किसानों के लिए चिंता की बात यह है कि कृषि विज्ञान केंद्र में संचालित जिला कृषि मौसम इकाई मार्च 2026 से बंद है. इसके कारण किसानों को 48 घंटे पहले मिलने वाला मौसम पूर्वानुमान, फसल प्रबंधन और कृषि सलाह नहीं मिल पा रही है.

खुलासा — खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की जांच में पाया गलत भूमि विवरण

फसल खरीदी में सरकारी पंजीयन में फर्जीवाड़ा

भिण्ड, 4 जुलाई. जिले में समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी के लिए किए जाने वाले सरकारी पंजीयन में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है.

जानकारी के अनुसार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की जांच में किसानों के नाम पर गलत भूमि विवरण और रकबा दर्ज कर उपार्जन पंजीयन किए जाने की अनियमितताएं सामने आई. इसके बाद कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सुनील मुद्गल ने मिहोना थाने में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर सेवा सहकारी संस्था जैतपुरा के प्रभारी संजीव पाठक, ऑपरेटर राहुल कुमार, सेवा सहकारी संस्था मिहोना के प्रभारी सीताराम मानिक तथा ऑपरेटर सौरभ बरुआ के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है. मिहोना थाना प्रभारी रोहित गुप्ता ने आज यहां बताया कि शिकायत में किसानों के नाम पर गलत रकबा दर्ज कर पंजीयन किए जाने के आरोप लगाए गए हैं. कर विवेचना शुरू कर दी है और दस्तावेजों की जांच की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.लहार के एसडीएम कार्यालय के निर्देश पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सुनील मुद्गल ने लहार थाने में भी करीब एक दर्जन सहकारी समिति प्रभारियों और ऑपरेटरों के खिलाफ शिकायत दी है. पुलिस शिकायत की जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आवश्यक साक्ष्य मिलने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी. सरकारी उपार्जन व्यवस्था में सामने आए इस फर्जीवाड़े से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है. आशंका जताई जा रही है कि जांच का दायरा बढ़ने पर इस मामले में और भी जिम्मेदार लोगों की भूमिका सामने आ सकती है.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

IDFC FIRST Bank

(CIN-L65110TN2014PLC097792)

रजिस्टर्ड ऑफिस : केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031

फोन : +91 44 4564 4000, **फैक्स :** +91 44 4564 4022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेक्शन 13 (2) नोटिस तिथि	सेक्शन 13 (2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
1.	33674898	संपत्ति पर ऋण	27-जून-2026	2,61,541.77/-

देनदार और सह-देनदारों का नाम :- 1. राकेश कुमार 2. कुशाल बाई

संपत्ति का पता : संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और हिस्सा जिसका आकार 100 × 55 फीट = कुल क्षेत्रफल 5500 वर्ग फीट (प्रॉपर्टी हाउस नंबर 48), जो वार्ड नंबर 02, गांव बेहापुर, पीएच नंबर 29, तहसील दलोदा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश-458669 पर स्थित है, और जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं- पूर्व- श्री भागीरथ गायरी का घर, पश्चिम- सड़क, उत्तर- श्री बंशीलाल आत्मज श्री शंकरलाल का घर, दक्षिण- सड़क.

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेक्शन 13 (2) नोटिस तिथि	सेक्शन 13 (2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
2.	68234195	संपत्ति पर ऋण	13-जून-2026	3,55,317.16/-

देनदार और सह-देनदारों का नाम :- 1. राजेन्द्र सिंह सोलंकी 2. लाड कुंवर

संपत्ति का पता : संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और हिस्सा जिसका हाउस नंबर 131, कुल क्षेत्रफल 900 वर्ग फीट है, जो लैंड सर्वे नंबर 230, पीएच नंबर 15, ग्राम एवं ग्राम पंचायत कागदी कराड़िया, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश-456006 पर स्थित है, और जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं- पूर्व- श्री गोकुल सिंह का घर, पश्चिम- विक्रम सिंह का घर, उत्तर- आम सड़क, दक्षिण- तूफान सिंह का घर.

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेक्शन 13 (2) नोटिस तिथि	सेक्शन 13 (2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
3.	90036732	गृह ऋण	20-जून-2026	6,44,161.20/-

देनदार और सह-देनदारों का नाम :- 1. अर्जुन सिंह 2. संतोष बाई अर्जुन

संपत्ति का पता : संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और हिस्सा जिसका प्लॉट/हाउस नंबर 176, क्षेत्रफल 278.70 वर्ग मीटर है, जो ग्राम- गुराड़िया गुर्जर, पीएच नंबर 70, ग्राम पंचायत- गुराड़िया गुर्जर, तहसील- घट्टिया, जिला- उज्जैन, मध्य प्रदेश-456550 पर स्थित है, और जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं- पूर्व- इंदारसिंह शंकरलाल का घर, पश्चिम- सड़क, उत्तर- प्रभुलाल का घर, दक्षिण- हुकम सिंह का घर.

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेक्शन 13 (2) नोटिस तिथि	सेक्शन 13 (2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
4.	100523944	संपत्ति पर ऋण	20-जून-2026	6,76,097.32/-

देनदार और सह-देनदारों का नाम :- 1. हंसराज पाटीदार 2. गिरजा बाई

संपत्ति का पता : निर्मित मकान का वह पूरा टुकड़ा और हिस्सा जिसका हाउस नंबर 42, कुल क्षेत्रफल 1800 वर्ग फीट (60 × 30) है, जो आबादी सर्वे नंबर 493, पीएच नंबर 37, गांव एवं ग्राम पंचायत- दावतपुर, वार्ड नंबर 04, तहसील- नलखेड़ा, जिला- आगर, मध्य प्रदेश-465445 पर स्थित है, और जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं- पूर्व- गिरधारी जी का घर, पश्चिम- वल्लभप्रसाद जी का घर, उत्तर- आम सड़क, दक्षिण- रामपाल जी का घर.

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेक्शन 13 (2) नोटिस तिथि	सेक्शन 13 (2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
5.	112405271	गृह ऋण	27-जून-2026	6,79,431.72/-

देनदार और सह-देनदारों का नाम : 1. तोफान सिंह 2. मनीषा गुर्जर

संपत्ति का पता : संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और हिस्सा जिसका प्लॉट/हाउस नंबर 100, कुल क्षेत्रफल 241.54 वर्ग मीटर (2600.00 वर्ग फीट) है, जो खसरा नंबर 912, पटवारी हल्का नंबर 70, ग्राम- गुराड़िया गुर्जर, ग्राम पंचायत- गुराड़िया गुर्जर, तहसील- घट्टिया, जिला- उज्जैन, मध्य प्रदेश-456550 पर स्थित है, और जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं- पूर्व- सुनील की भूमि, पश्चिम- आम सड़क, उत्तर- सरकारी भूमि, दक्षिण- कमल सिंह का प्लॉट.

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेक्शन 13 (2) नोटिस तिथि	सेक्शन 13 (2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
6.	129197479	संपत्ति पर ऋण	17-जून-2026	7,80,508.46/-

देनदार और सह-देनदारों का नाम : 1. महादेव भूरस्या 2. राधा बाई

संपत्ति का पता : संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और हिस्सा जिसका प्लॉट नंबर 898 (P) है, जिसका माप क्षेत्रफल 148 वर्ग मीटर है, वर्तमान में निर्मित क्षेत्र का ग्राउंड फ्लोर 148 वर्ग मीटर है, जिसमें मकान बना हुआ है, जो खसरा नंबर 954/1 (B), पीएच नंबर 13 (पिपरी), गांव- पिपरी, तहसील और जिला- खरगौन, मध्य प्रदेश-451440 पर स्थित है, और जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं- पूर्व- श्री सरदार और श्री श्याम का घर, पश्चिम- प्लॉट नंबर 897 (P), उत्तर- प्लॉट नंबर 897 (P), दक्षिण- श्री कमलेश आत्मज श्री कैलाश का घर.

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेक्शन 13 (2) नोटिस तिथि	सेक्शन 13 (2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
7.	134262846	संपत्ति पर ऋण	17-जून-2026	8,73,085.98/-

देनदार और सह-देनदारों का नाम : 1. ईश्वरलाल कैलाश 2. संतोषी अंजाना

संपत्ति का पता : भूमि/मकान वाले प्लॉट का वह पूरा टुकड़ा और हिस्सा जिसका हाउस नंबर 92 है, कुल प्लॉट क्षेत्रफल 1800 वर्ग फीट या 116 वर्ग मीटर है, जो पटवारी हल्का नंबर 21, सर्वे नंबर 210, ग्राम- चोरड़िया, तहसील- महू, जिला- इंदौर, मध्य प्रदेश-453441 पर स्थित है, और जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं- पूर्व- रामचंद्र का घर, पश्चिम- दशरथ का घर, उत्तर- हीरा सिंह का घर, दक्षिण- आम रास्ता.

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है). इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी /-
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

दिनांक : 5.7.2026
स्थान : मध्यप्रदेश

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय- 501, सालकॉन ऑरम, जसोला जिला केंद्र, नई दिल्ली-110025

CIN: U65900DL2020PLC366027

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग नोटिस

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं, जिन्होंने शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड से ऋण सुविधाएं प्राप्त की हैं, जिसका मुख्य कार्यालय तीसरी मंजिल, एड इंडिया टॉवर, सेक्टर 125, नोएडा - 201303 में है, वे शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रति अपनी ऋण सुविधाओं के ब्याज का भुगतान करने में विफल रहे हैं और उनके ऋण खातों को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए (NPA - गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) के रूप में वर्गीकृत किया गया है. उधारकर्ताओं ने शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को अचल संपत्तियों की सुरक्षा (सिक्योरिटी) प्रदान की है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है. ऋण का विवरण और उधारकर्ताओं द्वारा शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को देय और बकाया राशि आज की तारीख के अनुसार नीचे उल्लिखित है. उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं के साथ-साथ आम जनता को भी सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी, जो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (सुरक्षित लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी हैं, ने प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. यदि निम्नलिखित उधारकर्ता इस नोटिस के 60 (साठ) दिनों के भीतर अपने नामों के सामने दर्शाए गए बकाया देय राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो अधोहस्ताक्षरी सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (2) के तहत सुरक्षित लेनदार को प्रदत्त एक या अधिक शक्तियों का प्रयोग करेंगे, जिसमें संपत्तियों का कब्जा लेने और उन्हें बेचने की शक्ति शामिल है. आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे नीचे वर्णित संपत्ति के साथ कोई लेन-देन न करे.

देनदार/गारंटर और बंधक का नाम	सुरक्षित संपत्तियों/संपत्ति का विवरण
1. मेसर्स चावड़ा साड़ीज (उधारकर्ता) (प्रोपे. श्री संदीप चावड़ा सुपुत्र श्री मदन लाल चावड़ा) 201 एम.जी. रोड, कुमार मेडिकल के सामने, देवास, मध्य प्रदेश, 455001, **यह भी-** मकान नंबर 219, वार्ड नंबर 22, दर्जी धर्मशाला के पास, मोती बंगला, देवास, मध्य प्रदेश, 455001, **2. श्रीमती नेहा चावड़ा पत्नी श्री संदीप चावड़ा (गारंटर)** मकान नंबर 219, वार्ड नंबर 22, दर्जी धर्मशाला के पास, मोती बंगला, देवास, मध्य प्रदेश, 455001, **3. श्री मदन लाल चावड़ा सुपुत्र बापू लाल चावड़ा (गारंटर/बंधककर्ता)** मकान नंबर 219, वार्ड नंबर 22, दर्जी धर्मशाला के पास, मोती बंगला, देवास, मध्य प्रदेश, 455001.	प्रभार, स्टॉक और बुक डेब्ट्स (बही ऋण) संपत्ति पर न्यायसंगत बंधक : आवासीय संपत्ति जिसका कुल क्षेत्रफल 1200 वर्ग फुट (111.48 वर्ग मीटर) है, भूमि का उत्तरी भाग प्लॉट नंबर 336, प्लॉट नंबर 180 पैकी, (नजूल स्वीकृति नंबर 171 पैकी, शीट नंबर 06 और 53 और 04) सदाशिव नगर, देवास, जूनियर देवास, मध्य प्रदेश में स्थित है. राजस्व रिकॉर्ड के पेज नंबर 86-90, सीरियल नंबर 3716, दिनांक 22-03-2000 में पंजीकृत. श्री मदन लाल चावड़ा सुपुत्र बापू लाल चावड़ा के नाम पर. चौहद्दी- पूर्व- सड़क, पश्चिम- स्ट्रीट (गली), उत्तर- प्लॉट नंबर 170, दक्षिण- प्लॉट नंबर 176.
ऋण खाता संख्या, मांग नोटिस तिथि और राशि	
ऋण खाता संख्या : 102946510325 **मांग नोटिस की तिथि :** 03-07-2026 **बकाया राशि :** 02-07-2026 तक रु. 10,19,000/- (रुपये दस लाख उन्नीस हजार मात्र)	
एनपीए तिथि- 30-6-2026	

दिनांक 3-7-2026, स्थान : नोएडा — **प्राधिकृत अधिकारी, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**